न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–137/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00056)

01. मिसरून खान पुत्र श्री सुबेदार खान, जाति मेव, निवासी ग्राम साहोड़ी तहसील व जिला अलवर।
02. साकिर हुसैन पुत्र श्री बच्चू खॉ, जाति मेव, निवासी मोजपुर तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. जोमू खॉ पुत्र स्व. श्री छोटेलाल,
02. मोज खॉ पुत्र स्व. छोटेलाल,
03. समसुद्दीन पुत्र स्व. छोटेलाल,
04. कल्लू खॉ पुत्र स्व. श्री छोटेलाल,
05. नसरूद्दीन पुत्र स्व. छोटेलाल,
06. फज्जर खॉ पुत्र स्व. श्री छोटेलाल, जाति मेव निवासी केसरपुर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
07. श्रीमती निजरी पुत्री स्व. श्री छोटेलाल, पत्नी अमरदीन, जाति मेव, निवासी ग्राम पाडलिया, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
08. श्रीमती सुनेबी पुत्री स्व. छोटेलाल, पत्नी रणमल, जाति मेव, निवासी ग्राम पाडलिया, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर।
09. श्रीमती जरीना पुत्री स्व. श्री छोटेलाल पत्नी मोहम्मद आमिन, जाति मेव निवासी बी–15, जी–4, डाबर स्कूल के पास, जालूपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. सायरा नवासी स्व. छोटेलाल, पत्नी रूकमुद्दीन, जाति मेव, निवासी ग्राम भनकपुरा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
11. अजम नवासा स्व. छोटेलाल पुत्र शौकत, जाति मेव, निवासी पलाई का बास, नौरंगाबाद, तहसील व जिला अलवर।
12. सकील नवासा स्व. छोटेलाल पुत्र शौकत, जाति मेव निवासी पलाई का बास, नौरंगाबाद, तहसील व जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.11.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय अलवर के आदेश दिनांक 18.06.2019 (प्रकरण संख्या 11/33/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 06.07.2017 मृतक छोटेलाल की विरासत का रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया जिस नामान्तरकरण संख्या 572 का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 लगायत 2074 मे किया गया तथा समस्त रेस्पोडेन्टान को छोटेलाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया, खातेदारी दर्ज होने के पश्चात्

संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 ने अपने हिस्से की आराजी मिन अपीलान्टान को दिनांक 08.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दो अलग–अलग बयनामों के जरिये विक्रय कर दी और बैय की राशि मिन अपीलान्ट संख्या 1 से 6,50,0000/–रू व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6,50,000/–रू प्राप्त कर कब्जा मिन अपीलान्टान का करा दिया, वक्त खरीद से आज तक दिन तक अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है और मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध एक अपील तहत न्यायालय में दायर की जिसमें दीगर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 12 अपीलान्ट्स से मिलकर अपील स्वीकार करने की तहत न्यायालय में प्रार्थना की साथ ही नामान्तरकरण संख्या 572 को कानून के विपरित बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना भी की गई, तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 12 के कथनानुसार अपील को स्वीकार करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 572 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम जर्द व तस्दीक करने के आदेश दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मृतक छोटेलाल की विरासत का नामान्तरकरण उसके जायज वारिसान रेस्पोडेन्ट के नाम पूर्ण रूप से जॉच करने के पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 06.07.2017 ग्राम केसरपुर दर्ज व तस्दीक किया गया जिस नामान्तरकरण की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को भली–भांति जानकारी थी इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपील मियाद बाहर पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके पर अन्दर मियाद मानते हुए 6 माह का विलम्ब कण्डोन किया है जो स्पष्टतया मियाद बाहर अपील को कानूनन मियाद में शुमार नही किया जा सकता है और रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 6 की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 12 से मिलीभगत करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 12 में स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की अपील स्वीकार फरमायी जाने की प्रार्थना की है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के द्वारा अपने हक व हिस्से में आई आराजी का हक त्याग कर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने की प्रार्थना पूर्व में ही की गई थी जिसके जमाबन्दी सम्वत 2071 लगायत 2074 में नामान्तरकरण संख्या 573 के जरिये अमल भी हो चुका है लेकिपन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि छोटेलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 05.09.2017 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया था जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील भी

सभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा नही की गई इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 05.09.2017 में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 12 को छोटेलाल का वारिस करार दे रहे है और नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 06.07.2017 की अपील में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को ही वारिस करार दे रहे है इससे स्पष्ट है कि मृतक छोटेलाल के 1 लगायत 12 भी कानूनी वारिस है और उन्होने सही रूप से उनके हिस्से की आराजी का विक्रय अपीलार्थीगण के पक्ष में जरे बदल प्राप्त कर किया है जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर राजस्थान द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे व नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 08.04.2019 ग्राम केसरपुर बदस्तूर बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यें को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार छोटेलाल के निधन के उपरान्त तहसीलदार अलवर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 के नाम भी नामान्तरकरण संख्या 572 विधि विरूद्ध व बैजा तौर पर कब्जे व मौके के खिलाफ स्वीकार किया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को होने पर उन्होने जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 मृतक खातेदार छोटेलाल की मृतक पुत्री ऐमना के पुत्र–पुत्री है तथा ऐमना का स्वर्गवास छोटेलाल की मृत्यु के पूर्व ही हो गया था इस कारण कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 को छोटेलाल की विरासत में कोई हक व अधिकार नही बनता है, ऐसी अवस्था में मृतक छोटेलाल का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 के हक में दर्ज व स्वीकार किया जाना गैरकानूनी एवं निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 मृतक छोटेलाल के उत्तराधिकारी की श्रेणी में नही आते है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 छोटेलाल की मृतक पुत्री ऐमना के पुत्र–पुत्री है तथा मुसलिम विरासत व उत्तराधिकार कानून के तहत मुसलिम पुत्री की सन्तान को मुसलिम विधि में हक व हिस्सा नही होता है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 स्वयं ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आपको छोटेलाल का नवासा व नवासी होना और मुसलिम विधि के अनुसार नाना की सम्पत्ति पर कोई हक व अधिकार नही जताया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 572 स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार ने उभयपक्ष को सनवाई का भी कोई अवसर प्रदान नही किया और ना ही वादग्रस्त आराजी के मौके व कब्जे की जांच की गई और विधि विरूद्ध तौर पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण स्वीकार करने के सर्वप्रथम

P.T.O.

राजस्व अपील अधिकरण (stamp: ...भीय आयुक्त, जयपुर)

अधिकार ग्राम पंचायत को होता है तथा ग्राम पंचायत यदि 45 दिन में नामान्तरकरण का निस्तारण नही करती है तो नामान्तरकरण स्वीकृति के अधिकार तहसीलदार को होता है लेकिन उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नही हुआ और सीधे ही तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध हेने से निरस्तनीय ही था तथा रेस्पोडेन्ट को जब उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकरी हुई तब उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष का सुनकर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.06.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलीधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 से अपीलान्ट के हक, हकूक विपरित प्रभावित होते है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धरा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 08.01. 2019 क्रय किया गया है उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 द्वारा आराजी को अपीलान्ट्स को विक्रय करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 पारित करवाया जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 को खारिज किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 572 वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर पर तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।